न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 134 / 2022

1 ताराचन्द पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी बामलास तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू हाल निवासी पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी बामलास तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 05.07.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी भागीरथ बनाम ताराचन्द आदि मुकदमा नम्बर 352 / 2021 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. कैलाशचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 8.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 352/2021 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1233/367 रकबा 0.08 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 368 रकबा 1.77 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम खटकड़ तहसील गुढागौड़जी में स्थित है उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भागीरथ ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अदालत मातहत ने दिनांक 05.07.2022 को स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नही की, कानून से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय पारित करते समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के प्रावधानों की विस्तृत व्यवस्था करते हुये विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिए था। विवादित जमीन का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार है। विवादित जमीन अपीलान्ट की क्रय शुदा स्व–अर्जित सम्पत्ति है। उक्त प्रकरण में जमीन हाल खसरा नम्बर 1233/367 व खसरा नम्बर 368 ग्राम खटकड़ पर अपीलान्ट बरोज क्रय से काबिज काश्त है। कानून से रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। उक्त जमीन का रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भागीरथ रिकार्डेड टिनेन्ट नहीं है तथा उक्त जमीन किसी भी भाग पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भागीरथ का कब्जा नहीं है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट का है। रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी की जमीन के फुट्स लेने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधी निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला का काई निर्णय पारित नहीं किया। प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में है ऐसा उल्लेख आलौच्य निर्णय में नहीं किया। उक्त निर्णय में विचारण न्यायालय ने लिखा है कि चूंकि हक हकूक के सम्बन्ध में निर्णय तो दावे की विधिवत सुनवाई के पश्चात की तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर भी अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है हक अधिकार तय होने से पूर्व किसी रिकार्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता इस प्रकार का निर्णय गलत है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 1233/367 व खसरा नम्बर 368 के पुराना खसरा नम्बर बन्दोबस्त द्वितीय से पूर्व 228 था तात्कालीन खातेदार भंवरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी बामलास ने नाम राजस्व रिकार्ड में 14 बीघा 13 बिश्वा भूमि की खातेदारी थी। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त परिवार में अर्जित आय से पैत्रिक भूमि है। संयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि में वादी का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 5/6 होना कानूनी न्यायोचित है। विवादग्रस्त भूमि को लेकन उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद को देखते हुए विचारण न्यायालय ने अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नही की, कानून से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय पारित करते समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के प्रावधानों की विस्तृत व्यवस्था करते हुये विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिए था। विवादित जमीन का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार है। विवादित जमीन अपीलान्ट की क्रय शुदा स्व–अर्जित सम्पत्ति है। उक्त प्रकरण में जमीन हाल खसरा नम्बर 1233/367 व खसरा नम्बर 368 ग्राम खटकड़ पर अपीलान्ट बरोज क्रय से काबिज काश्त है। कानून से रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। उक्त जमीन का रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भागीरथ रिकार्डेड टिनेन्ट नहीं है तथा उक्त जमीन किसी भी भाग पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भागीरथ का कब्जा नहीं है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट का है। रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी की जमीन के फुट्स लेने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर भी अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है हक अधिकार तय होने से पूर्व किसी रिकार्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर